न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट , आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :– बनाम अप्रार्थी :–

1– हरजीराम पुत्र कालूराम
2– नन्दाराम पुत्र जैसाराम
3– मंगलाराम पुत्र उगमाराम
4– मेघाराम पुत्र भागूराम
5– पन्नाराम उर्फ मानाराम पुत्र भागूराम
6– हनुमान पुत्र उगमाराम
7– हीराराम पुत्र भागूराम
जाति जाट सा. चारणवास

खूमाराम पुत्र अमराराम जाट
निवासी चारणवास (खोखर)

प्रार्थना पत्र बाबत :– राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए

उपस्थित :– श्री राघवशर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री खूमाराम अप्रार्थी स्वंय

मुकदमां नम्बर :– 102/2020 निर्णय दिनांक :– 22/7/24

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राघवशर्मा ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया हैं कि ग्राम चारणवास के खसरा नम्बर 181, 182, 210, 211 कुल रकबा 8.54 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि हैं, जिसका प्रार्थीगण कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण की इस खातेदारी सुदा भूमि के चारो तरफ कोई कटाणी रास्ता नहीं हैं। जिससे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 181, 182 के लिये पश्चिमी तरफ अप्रार्थी खूमाराम की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 180 की दक्षिणी सीव – सीव होते हुए 20 फुट चौड़ा रास्ता कायम करवाना चाहते है। वर्तमान में प्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि में आवागमन हेतु किसी प्रकार का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, प्रार्थीगण द्वारा मांग किया गया रास्तो

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

मौके पर चालू हैं, को अप्रार्थी की खातेदारी से कम कर गै.मु. कटाणी रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत घोषित किये जाने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 29.10.2020 को अप्रार्थी स्वंय ने उपस्थित होकर जबाब पेश कर निवेदन किया हैं कि मुझ अप्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 180 की दक्षिणी सीव – सीव होते हुए खसरा नम्बर 182 तक प्रार्थीगण ने 20 फुट चौड़े रास्ते की मांग की है। जबकि मुझ अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को वर्ष 1996 में ही 12 फुट चौड़ा रास्ता दिया हुआ हैं जो वर्तमान में चालू हैं तथा मेरी खातेदारी से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक 12 फुट चौड़ा कटाणी रास्ता दर्ज किया जाता हैं तो मुझ अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। तथा मैं किसी प्रकार के रास्ता के बदले गई भूमि का मुआवजा प्राप्त करना नहीं चाहता हूँ मेरे द्वारा पूर्व में ही 12 फुट चौड़े रास्ते की भूमि का मुआवजा प्राप्त कर लिया गया है, 12 फुट से अधिक चौड़ा रास्ता अप्रार्थी को स्वीकार नहीं हैं, प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

3. प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारो की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

4. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम चारणवास पटवार हल्का खोखर की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 पेश की हैं जिसके अनुसार ग्राम चारणवास के खसरा नम्बर 181, 182, 210, 211 कुल रकबा 8.54 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, इसी प्रकार खसरा नम्बर 180 की खातेदारी अप्रार्थी के नाम दर्ज रेकर्ड हैं। नक्शा ट्रेस के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि के चारो तरफ कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता हैं। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया हैं कि खसरा नम्बर 180 की दक्षिणी सीव पर अप्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि में से प्रार्थीगण की खातेदारी तक आने जाने हेतु मौके पर रास्ता चालू हैं, जिसके अप्रार्थी ने भी स्वीकार किया हैं कि मेरी खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 180 की दक्षिणी सीव पर वर्ष 1996 में ही 12 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

को आने – जाने हेतु प्रतिफल की राशि प्राप्त कर दिया था जो मौके पर चालू हैं, लेकिन प्रार्थीगण ने 20 फुट चौड़े रास्ते की मांग की हैं जो अप्रार्थी को स्वीकार योग्य नहीं हैं। 12 फुट चौड़ा रास्ता वर्ष 1996 में दिया गया था जो मौके पर चालू हैं इस रास्ते को राजकीय कटाणी रास्ता घोषित किया जाता हैं तो मैं किसी प्रकार का मुआवजा नहीं चाहता हूँ, दौराने बहस अप्रार्थी ने बताया हैं कि वर्ष 1996 से रास्ता दिये जाने के बाद अप्रार्थी ने मौके पर रास्ते की भूमि को छोड़ कर अपनी खातेदारी सुदा भूमि की सुरक्षा के लिये डोल का निर्माण कर उस पर वृक्ष लगाये हैं, अनावश्यक रूप से 20 फुट चौड़ा रास्ता दिया जाता हैं तो अप्रार्थी की सम्पूर्ण डोल व वृक्ष नष्ट हो जायेगे जिससे अप्रार्थी को भारी नुकशान होगा मौके पर जितना रास्ता चालू हैं उतना रास्ता रेकर्ड में दर्ज किया जाता है, तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह सही हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 181, 182 में आने जाने हेतु अप्रार्थी ने अपनी खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 180 में से दक्षिणी सीव पर 12 फुट चौडा रास्ता प्रतिफल की राशि प्राप्त कर वर्ष 1996 में ही प्रार्थीगण को दे रखा हैं जो मौके पर चालू हैं, जिसको दोनों ही पक्षों ने मौके पर चालू होना बताया हैं, जिससे मौका कमीश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने की आवश्यकता नहीं हैं। चुंकि प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 181, 182, 210, 211 कुल रकबा 8.54 हैक्टयर भूमि में कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग करने हेतु रास्ते की मांग की हैं, कृषि भूमि में आने – जाने तथा कृषि प्रयोजनार्थ संसाधन लाने – लेजाने हेतु 12 फुट चौड़ा रास्ता पर्याप्त होता हैं, तथा 12 फुट चौड़ा रास्ता मौके पर वर्ष 1996 से ही चल रहा हैं तथा मौके पर रास्ता कायम हो रखा हैं, तो अनावश्यक रूप से इस रास्ते को 20 फुट चौड़ा कर अप्रार्थी की कृषि भूमि को रास्ते में दिये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता हैं। जितनी भूमि का मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग हो रहा हैं उतनी भूमि रास्ते हेतु पर्याप्त हैं। जिसके बदले अप्रार्थी किसी प्रकार का मुआवजा भी प्राप्त नहीं करना चाहता हैं। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए मांग किये गये स्थान पर 12 फुट चौड़ाई तक स्वीकार किये जाने योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर)

3
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए इस प्रकार से स्वीकार किया जाता हैं कि ग्राम चारणवास पटवार हल्का खोखर में प्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 181, 182 तक आने जाने हेतु अप्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 180 में से दक्षिणी सीव के अन्दर– अन्दर 12 फुट चौड़ाई में पूर्व से पश्चिम की भूमि अप्रार्थी की खातेदारी में से कम कर राजकीय गै.मु. कटाणी रास्ता घोषित किया जाता है। अप्रार्थी स्वंय के स्वीकार अनुसार रास्ते के बदले गई भूमि के बदले किसी प्रकार की राशि प्राप्त नहीं करना चाहे जाने से उक्त रास्ते के बदले किसी प्रकार की राशि अप्रार्थी को देय नहीं है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में राजकीय गै.मु. काटणी रास्ता घोषित किये जाने हेतु तहसीलदार परबतसर को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 2/7/14 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर)

2/7/14

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)